A3/1

FORM NO –III

फर्द–अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

यूको बैंक, गोटन, जिला नागौर

1. श्री कालू राम करवासरा पुत्र श्री नारायण राम
2. श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री कालू राम करवासरा

निवासी– नारायणपुरा कॉलोनी, तालनपुर रोड, गोटन, मेडता सिटी, जिला नागौर– 342902

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या– 100 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.09.2017	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा, किये जाने के प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे सम्पति – **Residential House situated at khasara No. 1882 Talanpur Road, Gotan, Tehsil Merta within sub- Registrar Office of Merta City, present owner of said area Smt. Sita Devi W/o Shri Kaluram Caste Jat, Sale deed dated 14 october 1993 at subregistrar office Mertacity District- Nagaur Book No. 1 Jild No. 226 Page No. 1692** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें। आदेश पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया व आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक नागौर का पालनार्थ भिजवायी जावे। आदेश सुनाया गया। (कुमार पाल गौतम) जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट नागौर	